कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 97/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 11.03.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 11.03.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस – नोट

यातायात पुलिस, जनपद आजमगढ़

आज दिनांक ***11.03.2026*** को श्रीमान ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार*** एवं ***अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री विवेक त्रिपाठी*** के निर्देशन तथा ***क्षेत्राधिकारी यातायात श्री शुभम तोदी*** के कुशल नेतृत्व में ***निरीक्षक यातायात संजय कुमार पाल*** मय यातायात पुलिस टीम द्वारा ***यातायात नियमों का उल्लंघन कर संचालित डग्गामार वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान*** चलाया गया।

अभियान के दौरान ***कुल 08 डग्गामार वाहनों को सीज किया गया**,* जिन्हें विधिक कार्यवाही करते हुए **थाना रानी की सराय के प्रांगण में निरुद्ध** किया गया।

यातायात पुलिस द्वारा जनपद में ***डग्गामार वाहनों एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।***

प्रेस नोट

थाना – मुबारकपुर, जनपद – आजमगढ़

मुकदमे से सम्बन्धित अपहृतागण को 24 घण्टे के भीतर सकुशल बरामद किया गया

पूर्व की घटना –

दिनांक **09.03.2026** को वादी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर थाना मुबारकपुर पर **मु0अ0सं0 91/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात** पंजीकृत किया गया। प्रकरण में दो नाबालिग बालिकाओं के घर से जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी विवेचना उ0नि0 **नौशाद अहमद** द्वारा की जा रही है।

बरामदगी का विवरण–

श्रीमान **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार** द्वारा अपहृत/गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान तथा **मिशन शक्ति फेज-5** के क्रम में पुलिस टीम द्वारा त्वरित व प्रभावी कार्यवाही की गई। इसी क्रम में विवेचक उ0नि0 **नौशाद अहमद** मय पुलिस टीम द्वारा **सर्विलांस सेल की सहायता व मुखबिर की सूचना के आधार पर** कार्यवाही करते हुए मुकदमे से सम्बन्धित दोनों अपहृताओं को **थाना मण्डुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी क्षेत्र के पास स्थित स्टैण्ड से सकुशल बरामद** कर लिया गया। **अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।**

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 नौशाद अहमद
2. म0का0 शिवानी सिंह

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना – सरायमीर, जनपद – आजमगढ़

पुलिस बनकर वाहन चेकिंग के नाम पर ठगी करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, नकद ₹12,900 बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक **13.01.2026** को वादी द्वारा थाना सरायमीर पर प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि दिनांक **12.01.2026** को वह सरायमीर बाजार से अपने घर वापस जा रहा था। रास्ते में **शाहपुर मोड़** के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने स्वयं को पुलिसकर्मी बताकर हेलमेट चेकिंग के बहाने उसकी तलाशी ली तथा उसके पर्स से **₹3000** निकाल लिये। इस सम्बन्ध में थाना सरायमीर पर **मु0अ0सं0 10/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक **11.03.2026** को उ0नि0 **अभिषेक सिंह** मय हमराह द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग एवं वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने **शाहपुर रोड खरेवां मोड़, थाना सरायमीर** के पास घेराबंदी कर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम ***अवधेश यादव पुत्र मुखराम यादव निवासी मोजरापुर थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़*** बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से ***₹12,900 नकद*** बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्त ने पुलिस का प्रतिरूपण कर वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों से ठगी/चोरी की घटनाएँ करना स्वीकार किया। अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में **धारा 204/318(4)/319(2)/317(2) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अवधेश यादव पुत्र मुखराम यादव, निवासी – मोजरापुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी–

01. ₹12,900/- नकद

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 10/2026 धारा 303(2)/204/318(4)/319(2)/317(2) बीएनएस, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास–

अभियुक्त के विरुद्ध जनपद आजमगढ़ एवं मऊ के विभिन्न थानों में **लूट, चोरी, शस्त्र अधिनियम एवं अन्य संगीन धाराओं** में एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं।

क्र0सं	मु0अ0सं	धारा	थाना	जनपद
1.	140/24	318(4)319(2)/336(3) बीएनएस	दक्षिण टोला	मऊ
2.	165/25	317(2)/317(4)/318(4) बीएनएस	कोतवाली	आजमगढ़
3.	200/20	3/25 आयुध अधि0	मुबारकपुर	आजमगढ़
4.	342/14	¾ गुण्डा एक्ट	कोतवाली	आजमगढ़
5.	896/13	170, 392 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
6.	563/10	392, 411 भादवि	बिलरियागंज	आजमगढ़
7.	564/10	307 भादवि	बिलरियागंज	आजमगढ़
8.	814/10	356, 392, 411, 504, भादवि	मुबारकपुर	आजमगढ़
9.	815/10	356, 392, 411, 504, भादवि	मुबारकपुर	आजमगढ़
10.	816/10	356, 392, 411, 504, भादवि	मुबारकपुर	आजमगढ़
11.	565/10	गैंगेस्टर (सम्भावित)	बिलरियागंज	आजमगढ़

12.	442/14	170, 379, 411 भादवि	मुहम्मदाबाद	मऊ
13.	468/13	392, 511 भादवि	सरायलख्नशी	मऊ

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 अभिषेक सिंह, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 रजनीश सिंह, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
3. का0 अंकुर सिंह, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना – सरायमीर, जनपद – आजमगढ़

चोरी, धोखाधड़ी व अन्य आपराधिक मामलों गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत विभिन्न अभियोगों में संलिप्त अभियुक्तगण द्वारा संगठित रूप से **चोरी, धोखाधड़ी एवं अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर अवैध लाभ अर्जित करने** का कार्य किया जा रहा था। उक्त आपराधिक कृत्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध **मु0अ0सं0 61/26 धारा 2ख(1)/3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण–

मु0अ0सं0 **61/26 धारा 2ख(1)/3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़** से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिनांक **10.03.2026** को उ0नि0 **देवचरण सिंह** मय हमराह द्वारा कार्यवाही की गयी। इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त **गोलू सिंह उर्फ सिद्धार्थ सिंह पुत्र विकास सिंह निवासी ग्राम ईरनी थाना बरदह जनपद आजमगढ़** को उसके घर से समय लगभग **19:40 बजे** गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अन्य वांछित अभियुक्त **शान्तनु उर्फ शनि राय पुत्र रविन्द्र राय उर्फ रविन्द्रनाथ राय निवासी ग्राम सोफीपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़** को उसके घर से समय लगभग **20:35 बजे** गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. गोलू सिंह उर्फ सिद्धार्थ सिंह पुत्र विकास सिंह निवासी ग्राम ईरनी थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
2. शान्तनु उर्फ शनि राय पुत्र रविन्द्र राय उर्फ रविन्द्रनाथ राय निवासी ग्राम सोफीपुर थाना देवगाँव, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 **61/26 धारा 2ख(1)/3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट**, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास–

दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों में **चोरी, धोखाधड़ी व अन्य आपराधिक मामलों** में कई अभियोग पंजीकृत हैं।

गोलू सिंह उर्फ सिद्धार्थ सिंह पुत्र विकास सिंह निवासी ईरनी थाना बरदह आजमगढ़

क्र सं	मु0अ0सं	धारा	थाना	जनपद
1.	354/24	34, 379, 411, भादवि	सरायमीर	आजमगढ़
2.	500/24	303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/3(5) बीएनएस	सरायमीर	आजमगढ़

3.	505/24	303(2), 317(2), 324(4), 3(5) बीएनएस	सरायमीर	आजमगढ़
4.	592/24	303(2),317(2),3(5) बीएनएस	सरायमीर	आजमगढ़
5.	61/26	61/26 धारा 2ख(1)/3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट	सरायमीर	आजमगढ़

शान्तनु उर्फ शनि राय पुत्र रविन्द्र राय उर्फ रविन्द्रनाथ राय निवासी सोफीपुर थाना देवगाँव आजमगढ़ ।

क्र.सं.	**मु0अ0सं**	**धारा**	**थाना**	**जनपद**
1.	500/24	303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/3(5) बीएनएस	सरायमीर	आजमगढ़
2.	31/24	406, 420, 506 भादवि	बरदह	आजमगढ़
3.	61/26	61/26 धारा 2ख(1)/3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट	सरायमीर	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 देवचरण सिंह, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
2. का0 आलोक शुक्ला, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
3. हो0गा0 विनोद यादव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना – दीदारगंज, जनपद – आजमगढ़

घर में घुसकर चोरी का प्रयास करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, लोहे का रम्मा बरामद

पूर्व की घटना–

दिनांक **09.03.2026** को वादिनी **श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी रमेश चन्द्र गुप्त निवासी ग्राम फुलेश थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़** द्वारा थाना दीदारगंज पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि वह दिनांक **09.03.2026** को प्रातः लगभग **05:30 बजे** अपने परिवार के साथ **चौकिया शीतला धाम (जौनपुर) व विन्ध्याचल धाम** दर्शन हेतु गयी थीं। रात लगभग **10:30 बजे** घर वापस लौटने पर देखा कि घर के मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ था तथा घर के अन्दर कोई अज्ञात व्यक्ति मौजूद था, जो बाहर लगे बल्ब की लाइट को बार-बार जला और बुझा रहा था। शंका होने पर वादिनी द्वारा **डायल-112 व थाना दीदारगंज पुलिस** को सूचना दी गयी। मौके पर पुलिस के पहुंचने पर परिवार व आस-पास के लोगों की मदद से घर के अंदर छिपे एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। अभियुक्त ने छत के रास्ते भागने का प्रयास किया, परन्तु छत के दरवाजे का ताला तोड़ने में असफल रहा। पकड़े गये अभियुक्त के कब्जे से **एक अदद लोहे का रम्मा** बरामद हुआ। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दीदारगंज पर **मु0अ0सं0 41/26 धारा 305, 331(4), 62 बीएनएस** बनाम **मिथिलेश मौर्या पुत्र सीताराम निवासी ग्राम पवई लाडपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़** के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी/बरामदगी का विवरण–

मौके पर ही अभियुक्त को पकड़कर पुलिस हिरासत में लिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से **एक अदद लोहे का रम्मा** बरामद हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मिथिलेश मौर्या पुत्र सीताराम, निवासी – ग्राम पवई लाडपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 35 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 **41/26 धारा 305, 331(4), 62 बीएनएस**, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास –

अभियुक्त के विरुद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों में चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट सहित कई अभियोग पंजीकृत हैं।

मिथिलेश मौर्या पुत्र सीताराम निवासी ग्राम पवई लाडपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	0081/2025	305, 317(2), 331(4) बीएनएस	सरायमीर	आजमगढ़
2.	0261/2022	60 आबकारी अदि0	सरायमीर	आजमगढ़
3	0041/2019	20, 8 एन0डी0पीएस	सरायमीर	आजमगढ़
4	0032/2018	380, 457, 504, 506, 511 भादवि	सरायमीर	आजमगढ़
5	0105/2016	380, 457 भादवि	सरायमीर	आजमगढ
6	0025/2020	380, 411, 457 भादवि	रानी की सराय	आजमगढ़
7	0024/2020	380, 411, 457 भादवि	रानी की सराय	आजमगढ
8	0058/2023	20, 8 एनडीपीएस	फूलपुर	आजमगढ़
9	0077/2025	305, 331(4) बीएनएस	निजामाबाद	आजमगढ़
10	0322/2023	25, 3 आर्म्स एक्ट	निजामाबाद	आजमगढ़
11	0241/2016	392, 411 भादवि	निजामाबाद	आजमगढ़
12	41/26	305,331(4),62 B.N.S	दीदारगंज	आजमगढ़

बरामदगी–

एक अदद लोहे का रम्मा।

गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले–

1. श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी रमेशचन्द्र गुप्ता निवासी ग्राम फुलेश थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
2. मोहन गुप्ता पुत्र स्व0 प्यारेलाल निवासी ग्राम सुघरपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
3. सत्येन्द्र गुप्ता पुत्र स्व0 मुन्नीलाल गुप्ता निवासी ग्राम सुघरपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

प्रेस-नोट

थाना – कोतवाली, जनपद – आजमगढ़

मारपीट व धमकी के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास –

वादी **राजवीर सिंह पुत्र स्व० माता प्रसाद सिंह निवासी मोहल्ला पाण्डेय बाजार थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़** द्वारा थाना कोतवाली पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि वह अपने मकान संख्या 71 पर काबिज हैं तथा मकान के सामने उनकी बाउण्ड्री वाल बनी हुई है। आरोप है कि विपक्षी **सलीम खान पुत्र जुल्कद्दर निवासी पाण्डेय बाजार थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़** द्वारा दिनांक **05.06.2025** को उनकी बाउण्ड्री वाल को जबरन गिरा दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में पूर्व में मुकदमा दर्ज है। दिनांक **10.03.2026** को वादी द्वारा अपनी बाउण्ड्री वाल की मरम्मत करायी जा रही थी, तभी विपक्षी सलीम खान हाथ में डंडा लेकर आया और गाली-गलौज करते हुए वादी के बड़े पिता **रंजन कुमार सिंह** पर हमला कर उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया तथा पुनः बाउण्ड्री वाल गिरा दी। मौके पर आसपास के लोगों द्वारा बीच-बचाव किया गया। अभियुक्त द्वारा वादी व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस संबंध में थाना कोतवाली पर **मु0अ0सं0 100/26 धारा 119(1)/115(2)/352/351(3)/324(4) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु गठित पुलिस टीम **उ0नि0 रामकिशोर शर्मा, चौकी प्रभारी ब्रह्मस्थान व का0 आनन्द कुमार थाना कोतवाली आजमगढ़** द्वारा दिनांक **11.03.2026** को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **सलीम खान पुत्र जुल्कद्दर निवासी पाण्डेय बाजार थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 38 वर्ष** को **पाण्डेय बाजार** क्षेत्र से समय लगभग **14:20 बजे** गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

01. सलीम खान पुत्र जुल्कद्दर, निवासी – पाण्डेय बाजार, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 38 वर्ष

पंजीकृत अभियोग –

01. मु0अ0सं0 100/26 धारा 119(1)/115(2)/352/351(3)/324(4) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 260/25 धारा 352, 351(3), 324(4), 131 बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 100/26 धारा 119(1)/115(2)/352/351(3)/324(4) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 रामकिशोर शर्मा, चौकी प्रभारी ब्रह्मस्थान, थाना कोतवाली आजमगढ़
2. का0 आनन्द कुमार, थाना कोतवाली आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना – देवगांव, जनपद – आजमगढ़

विभिन्न चोरी की घटनाओं का अनावरण, 02 महिला चोर गिरफ्तार, चोरी के जेवरात व ₹5000 नगद बरामद

पूर्व की घटना का विवरण–

➡ दिनांक **08.01.2026** को वादी **श्री ओमप्रकाश तिवारी पुत्र रामनारायण निवासी ग्राम कलिचाबाद थाना देवगांव जनपद आजमगढ़** द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि **वर्मा आभूषण गिरिश सेठ** की दुकान पर एक अज्ञात महिला द्वारा वादी की जेब से **₹53,000** निकाल लिया गया। इस सम्बन्ध में थाना देवगांव पर **मु0अ0सं0 012/26 धारा 303(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना **उ0नि0 विनय कुमार सिंह** द्वारा की जा रही है।

➡ इसी क्रम में दिनांक **16.02.2026** को **जिवली तिराहा** के पास टेम्पो में सवार दो अज्ञात महिलाओं द्वारा एक महिला के बैग से गहने व रुपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर थाना देवगांव पर **मु0अ0सं0 089/2026 धारा 303(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना **उ0नि0 गौरव कुमार सिंह** द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक **10.03.2026** को **उ0नि0 विनय कुमार सिंह** मय **उ0नि0 गौरव कुमार सिंह, का0 विनोद कुमार व म0का0 प्रियंका मिश्रा** के साथ क्षेत्र में मौजूद थे, तभी **गुंजन मौर्या** द्वारा सूचना दी गयी कि उसके गहने चोरी करने वाली दो महिलाओं को **कबीरा पुलिया** पर पकड़ लिया गया है, जिन्हें इस समय **ऑटो चालक पप्पू यादव व उसके पुत्र हिमांशु मौर्या** द्वारा रोककर रखा गया है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुँची, जहाँ दो महिलाएँ मौजूद मिलीं। **म0का0 प्रियंका मिश्रा** द्वारा दोनों महिलाओं की तलाशी ली गयी तथा पूछताछ में उन्होंने अपना नाम –

1. **लक्ष्मी पत्नी मिथुन निवासी ग्राम डोमापार थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर**
2. **पूजा पत्नी सूरज निवासी ग्राम अकारीपुर थाना धमौर जनपद सुल्तानपुर** बताया। अभियुक्ताओं को समय लगभग **14:00 बजे** हिरासत पुलिस में लिया गया।

पूछताछ/बरामदगी का विवरण–

पूछताछ में अभियुक्ताओं ने बताया कि दिनांक **08.01.2026** को **वर्मा आभूषण गिरिश सेठ** की दुकान पर एक व्यक्ति की जेब से **₹53,000** निकाले थे तथा दिनांक **16.02.2026** को टेम्पो में यात्रा के दौरान एक महिला के बैग से **गहने व रुपये चोरी** कर लिये थे और **जिवली तिराहे** पर उतर गयी थीं।

अभियुक्ताओं के कब्जे से निम्नलिखित सामान बरामद हुआ –

- **02 जोड़ी पायल**
- **06 जोड़ी बिछुआ**
- **01 जोड़ी कान की बाली**
- **02 जोड़ी माला**
- **₹5000 नगद**

गिरफ्तार अभियुक्ता–

1. लक्ष्मी पत्नी मिथुन निवासी ग्राम डोमापार थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर
2. पूजा पत्नी सूरज निवासी ग्राम अकारीपुर थाना धमौर जनपद सुल्तानपुर

बरामदगी–

02 जोड़ी पायल, 06 जोड़ी बिछुआ, 01 जोड़ी कान की बाली, 02 जोड़ी माला व ₹5000 नगद।

पंजीकृत अभियोग–

1. मु0अ0सं0 012/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 089/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 विनय कुमार सिंह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 गौरव कुमार सिंह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
3. का0 विनोद कुमार सिंह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
4. म0का0 प्रियंका मिश्रा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

प्रेस-नोट

दिनांक – 11.03.2026

थाना – साइबर क्राइम, जनपद – आजमगढ़

नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस माह के अंतर्गत साइबर अपराध से बचाव हेतु जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत ***I4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre)*** द्वारा चलाए जा रहे ***नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस माह (NCSAM)*** के अंतर्गत आमजनमानस को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज दिनांक ***11.03.2026*** को ***श्री महादेव शिक्षण संस्थान, खैरा रानी की सराय, जनपद आजमगढ़*** में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

यह कार्यक्रम ***श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ*** द्वारा प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम तथा आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जारी निर्देशों के क्रम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 श्री अनिल कुमार*** के निर्देशन, ***अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री विवेक त्रिपाठी*** के मार्गदर्शन तथा ***क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती आस्था जायसवाल*** के नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा किया गया।

कार्यक्रम के दौरान साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा ***लाउडहेलर के माध्यम से प्रचार-प्रसार*** करते हुए तथा ***पम्पलेट वितरण*** कर छात्र-छात्राओं व उपस्थित लोगों को विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसमें विशेष रूप से ***डिजिटल अरेस्ट के नाम पर फर्जी पुलिस/सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी, मोबाइल में फर्जी ऐप डाउनलोड कराकर ठगी, लिंक पर क्लिक कराकर ठगी, गिफ्ट/लॉटरी स्कैम, सोशल मीडिया पर अज्ञात व्यक्तियों से दोस्ती कर धोखाधड़ी, म्यूल अकाउंट तथा फर्जी मोबाइल नंबर के माध्यम से होने वाली ठगी*** के संबंध में जागरूक किया गया।

कार्यशाला के दौरान ***साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930*** तथा ***www.cybercrime.gov.in*** पोर्टल के उपयोग के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा बताया गया कि साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत उक्त नंबर पर कॉल करने या पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने से समय रहते अपराध को रोका जा सकता है।

जागरूकता कार्यक्रम में निम्न प्रमुख विषयों पर जानकारी दी गई –

- बैंकिंग फ्रॉड एवं क्यूआर कोड स्कैन कर ठगी
- व्हाट्सएप हैकिंग, OLX व KYC आधारित ठगी
- फर्जी ऐप्स, ऑनलाइन लोन स्कैम व हनी ट्रैपिंग
- ATM व सोशल मीडिया से जुड़ी ठगी
- निवेश/गेमिंग ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी
- सेक्सटॉर्शन व न्यूड कॉल के माध्यम से ब्लैकमेलिंग
- मेट्रीमोनियल वेबसाइटों के माध्यम से शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी

सेक्सटॉर्शन जैसे मामलों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई। बताया गया कि साइबर अपराधी अक्सर फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर सोशल मीडिया (विशेषकर फेसबुक) पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, इसके बाद व्हाट्सएप नंबर लेकर वीडियो कॉल के माध्यम से अश्लील वीडियो दिखाकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और बाद में ब्लैकमेल कर धन की मांग करते हैं।

जनसामान्य को निम्न सावधानियां बरतने की सलाह दी गई –

- किसी भी अजनबी व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें।
- अनजान नंबर से आने वाली वीडियो कॉल रिसीव न करें।
- यदि वीडियो कॉल उठानी पड़े तो कैमरे को ढक कर रखें।
- किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तुरंत ***1930*** पर कॉल करें या ***www.cybercrime.gov.in*** पर शिकायत दर्ज करें।

उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी–

1. हे0का0 कल्लू प्रसाद, थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़
2. का0 संजय कुमार, थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़
3. म0का0 प्रियंका गौड़, थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़
4. म0का0 संज्ञा देवी, थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़